FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0261 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/11/2024 18:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 12/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 3 **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 07:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/11/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/11/2024 18:21:59 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 08 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SETHI COLONY PARK ADARSH NAGAR, DISTRICT JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAHUL BENIWAI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BIRJU

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 12/04/1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	AGARA ROAD, PREM NAGAR,JDA COLONY, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	AGARA ROAD, PREM NAGAR,JDA COLONY, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEV KUMAR		पिता:BHURARAM	1. H-42,MINARVA TAKIJ KE PICHE SANGANER,HARIJAN BASTI JAIPUR,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.2024 को मन् अति० पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र के पास एक व्यक्ति कार्यालय उपस्थित आया, जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम राहुल बेनीवाल पुत्र श्री बिरजू उम्र 25 वर्ष निवासी प्रेम नगर, आगरा रोड, जे०डी०ए० कॉलोनी जयपुर होना बताया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर के नाम संबोधित है पेश किया तथा अपने पिताजी बिरजू बेनीवाल को अपने साथ आना तथा बाहर खड़े होना बताया, जिस पर परिवादी के पिता को अन्दर बुलाया गया। परिवादी श्री राहुल बेनीवाल ने प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि पिताजी बिरजू जी नगर निगम जयपुर में सफाई कर्मचारी है, जिनका पदस्थापन वर्तमान में वार्ड नं. 93 में जयपुर में है, वहीं पर कार्यरत निरीक्षक देव कुमार राणा मेरे पिताजी का सफाई के काम में राहत देने की ऐवज में प्रति माह 3000/-रूपये रिश्वत के रूप में मांग रहे हैं वर्तमान में दो महिने के 6000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है मैं व मेरे पिता रिश्वत नहीं देना चाहते एवं रिश्वत खोर निरीक्षक को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। निरीक्षक देव कुमार राणा से मेरे व मेरे पिता से कोई उधार का लेन-देन नहीं है व ना ही हमारी कोई रंजिश है। श्रीमान् से निवेदन है उचित कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ठ्या रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय करीब 1.30 पीएम कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वॉइस रिकार्डर निकाल कर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री राहुल बेनीवाल को डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक को तलब कर परिवादी से परिचय करवाकर डिजिटल वॉइस रिकार्डर में मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB डालकर परिवादी श्री राहुल बेनीवाल को सुपुर्द कर संबंधित आरोपी के पास जाकर उनसे रिश्वत लेन-देन के संबंध में वार्ता करने और संबंधित वार्ता को डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वत मांग का सत्यापन हेतु परिवादी के साथ श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक को बाद हिदायत मुनासिब रवाना किया गया। परिवादी के पिताजी श्री बिरजू बेनीवाल की तबियत सही नहीं होने के कारण घर जाने के लिए रूखसत किया गया। इसके बाद समय करीब 4.24 पी.एम पर श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक परिवादी श्री राहुल बेनीवाल बाद मांग सत्यापन वापस कार्यालय आये व परिवादी ने मन् अति० पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व श्री आलोक कुमार ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सेठी कॉलोनी पार्क, आदर्श नगर पहुंचकर श्री देव कुमार राणा से मिले व मेरे पिताजी को सफाई के काम में राहत देने की ऐवज में 6,000 रूपये मांगे तथा कम करने की रिक्वेस्ट करने पर 6,000 रूपये में सहमत हुआ तथा रिश्वती राशि कल दिनांक 12.11.2024 को देना तय हुआ है। देव कुमार द्वारा मांगी जाने वाली रिश्वत की वार्ता को मैंने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। जिसकी ताईद श्री आलोक कुमार सहायक उप निरीक्षक ने भी की। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत मांग वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। तत्पश्चात् समय करीब 5.20 पीएम पर तलविदा शुदा स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार लखेरा निजी सहायक ग्रेड-द्वितीय एवं श्री हेमेन्द्र सिंह कनिष्ट लिपिक, कार्यालय स्टेट गंगानगर शूगर मील, झालाना, जयपुर कार्यालय में उपस्थित आये, स्वतन्त्र गवाहान से उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने बाबत सहमति ली जाकर कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री राहुल बेनीवाल का गवाहान से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् समय करीब 5.31 पीएम पर परिवादी श्री राहुल बेनीवाल एवं संदिग्ध आरोपी देव कुमार के मध्य दिनांक 11.11.2024 को रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई थी. डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोडकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की नियमानुसार पांच सीडीयों में राईट/बर्न की जाकर रिकॉर्ड वार्ता सीडीयों में रिकार्ड/ सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पांचो सीडीयों पर अलग-अलग सीडी मार्क A-1, A-2, A-3, A-4 व A-5 अंकित किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर सीडी कवर में रखकर अलग- अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित कर सिलचिट चस्पा कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा सीडी मार्क A-4 अनुसंधान हेतु तथा मार्क A-5 को एडीपी को देने हेतु खुली रखी गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक

12.11.2024 को पांबदशुदा कार्यालय का स्टाफ तथा परिवादी श्री राहुल बेनीवाल अपने पिताजी श्री बिरजू बेनीवाल के साथ तथा स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार लखेरा व श्री हेमेन्द्र सिंह कार्यालय में उपस्थित आये। सभी का आपस में परिचय करवाया जाकर मन् अति० पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री राहुल बेनीवाल को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वति राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी श्री राहुल बेनीवाल ने अपने पास से 500-500 रूपये के 12 नम्बरी नोट कुल 6,000 /- रूपये मन् अति० पुलिस अधीक्षक को पेश किये, तत्पश्चात श्री करण सिंह हैड कानि. 104 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 500-500 रूपये के 12 नम्बरी नोट कुल 6,000 रूपये को रखकर उक्त नोटों पर श्री करण सिंह हैड कानि. से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। उसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर, उक्त घोल में श्री करण सिंह हैड कानि. के हाथो की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया, तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पॉउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोपथलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाइस रिकॉर्डर तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 6.50 ए. एम पर मन् अति०पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र मय श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक, श्री आलोक शर्मा सहायक उप निरीक्षक श्री राजकुमार हैड कानि. 79, श्री बंशीधर कानि. नम्बर 24. श्री मनु शर्मा कानि. 111, श्रीमति राजबाला महिला कानि० 495, मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार लखेरा व श्री हेमेन्द्र सिंह व परिवादी श्री राहुल बेनीवाल तथा परिवादी के पिता श्री बिरजू बेनीवाल मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक मय प्राईवेट कार व सरकारी मोटर साईकिल के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से सेठी कॉलीनी पार्क, आदर्श नगर जयपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 7.05 ए.एम पर सेठी कॉलौनी पार्क, आदर्श नगर जयपुर से पहले पहुंचकर परिवादी श्री राहुल बेनीवाल को उसके पिताजी श्री बिरजू बेनीवाल के साथ संदिग्ध आरोपी के पास बाद हिदायत डिजिटल रिकॉर्डर के सुपुर्द किया जाकर रवाना किया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एंव मन् अति० पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इतंजार में मुकिम हुये। इसके बाद समय 7.30 ए.एम पर परिवादी श्री राहुल बेनीवाल ने सेठी कॉलोनी पार्क, आदर्श नगर जयपुर में स्थित अस्थाई कार्यालय के बाहर से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन- देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् अति० पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के पार्क में परिवादी के पास पहुंचा व डिजिटल वायस रिकोर्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री राहुल बेनीवाल ने अपने पास खड़े एक पेन्ट टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति की ईशारा कर बताया कि यही देव कुमार निरीक्षक है। जिसने मेरे पिताजी की सफाई के काम में राहत देने की ऐवज में अभी-अभी मुझसे रिश्वत मांगने पर मैने अपनी जेब से निकालकर 6,000/- रूपये इसको दिए है तो इसने नोटो को गिने है जो इसके हाथ में ही है। इस पर उक्त व्यक्ति के दोनों हाथों को श्री आलोक कुमार स०उ०नि० व श्री राजकुमार हैड कानि० से कलाई के उपर से अलग - अलग पकड़वाये गये। उक्त व्यक्ति ने अपने हाथों में पकडे हुए 500-500 के नोट जमीन पर गिरा दिए जिन्हें गवाह श्री हेमेन्द्र सिंह से उठवाकर उसके पास सुरक्षित रखवाये गये। इसके बाद मन् अति० पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम देव कुमार पुत्र श्री भूरा उम्र 52 वर्ष जादि हरिजन निवासी मकान नम्बर एच-42, मिनर्वा टाकिज के पीछे सांगानेरी गेट, हरिजन बस्ती जयपुर हाल स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं. 93, जोन आदर्श नगर, नगर निगम हेरिटेज जयपुर होना बताया। परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी देव कुमार के मध्य रिश्वत लेन- देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री देव कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक से पूछा गया कि आपने परिवादी राहुल बेनीवाल से अभी कुछ देर पहले किस बात के रूपये लिये है। जिस पर आरोपी देव कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक ने बताया कि श्री राहुल बेनीवाल जो कि सफाई कर्मचारी बिरजू का लडका है जो अभी कुछ देर पहले मेरे पास आया व इसके पिताजी बिरजू जो अक्सर बीमार रहता है को साथ लेकर हाजरी करवाने के लिए आया व मुझे राहुल ने रूपये दिए जो मैंने जमीन पर पटक दिये। ये रूपये राहुल ने मुझे किस बात के दिये है यह में इससे पूछता उससे पहले ही आप लोगों ने मुझे पकड लिया। इस पर मौजूद परिवादी श्री राहुल बेनीवाल ने आरोपी के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि देव कुमार जी झूठ बोल रहा है। कल दिनांक 11.11.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय में आपके कर्मचारी के साथ इनके पास पार्क में आया व मेरे पिताजी के बीमार होने व उसका सफाई के काम में राहत देने के संबंध में बात की तो इन्होनें मुझसे 3 हजार रूपये हर माह रिश्वत राशि के मांगे व दो माह के 6 हजार रूपये मांगने पर मैंने कुछ कम करने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया और कहा कि 3 हजार रूपये हर महिने के हिसाब से 2 महिने के 6 हजार रूपये ही लगेगें। इस पर मैंने कहा कि ठीक है कल में पिताजी को हाजरी करवाने लाउंगा तब 6 हजार रूपये दे जाउंगा। आज जो मैने इन्हें 6 हजार रूपये रिश्वत के दिये है वे पिताजी के

सफाई के काम में राहत देने के लिए इनके द्वारा ली गई रिश्वती राशि है। इस पर पुनः श्री देव कुमार से पूछा तो वह गलती स्वीकार करने लगा व नीचे देखने लग गया। इसके पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेपबॉक्स से दो साफ नये प्लास्टिक के गिलासों में पार्क से बोतल में स्वच्छ पानी मगवाकर उनमे एक- एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया गया तो मिश्रण का रंग अपरिवर्तित रहा , उक्त मिश्रण के एक गिलास में आरोपी देव कुमार के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा- आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में आरोपी देव कुमार के बांये हाथ की अगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क L-1 व 1-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पार्क में रखी कुर्सी टेबल जहां बैठकर आरोपी देव कुमार सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लेता है। वहां टेबल पर रखी लाल कलर की जिल्द चढ़ी हुई उपस्थिति पंजिका रजिस्टर जिस पर वार्ड नं0 93 लिखा हुआ है तथा अन्दर सफाई कर्मचारी उपस्थिति पंजिका नगर निगम जयपुर हेरिटेज लिखा हुआ है। उक्त उपस्थिति पंजिका में कॉलम 16 पर परिवादी के पिता श्री बिरजू/गोपाल लिखा हुआ है। जिसका निरीक्षण कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पार्क में कार्यवाही की माकूल व्यवस्था नहीं होने तथा पार्क में सुबह घूमने वाले लोगों का आवागमन होने तथा आस-पास स्थित सरकारी कार्यालय सुबह 9.30 एएम से पहले नहीं खुलने के कारण अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय में चलकर किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन् अति० पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान मय जाप्ता तथा आरोपी श्री देव कुमार स्वास्थ्य निरीक्षक को साथ लेकर सरकारी वाहन एवं प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय आया। उसके बाद गवाह श्री हेमेन्द्र सिंह के पास आरोपी द्वारा जमीन पर गिराई गई रिश्वती राशि 6000/-रूपये को उसके पास सुरक्षित रखवाई गई थी, जिसे दोनों गवाहान से कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनों गवाहान ने फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान कर हुबहु वहीं भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 12 नोट कुल 6.000 रूपये होना बताये। उक्त बरामद शुदा 6,000/- रिश्वती नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद आरोपी श्री देव कुमार, सफाई कर्मचारी एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम जयपुर हेरिटेज को दिनांक 11.11.2024 को परिवादी श्री राहुल बेनीवाल व उसके मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 12.11.2024 को वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी श्री राहुल बेनीवाल व उसके मध्य हुई वार्ता से मिलान हेतु अपनी नमूना आवाज देने हेतु कहा गया तो आरोपी ने नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज पृथक से बनाई गई तथा आरोपी देव कुमार से विस्तृत पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री राहुल बेनीवाल एवं आरोपी के मध्य दिनांक 12.11.2024 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता की रिकॉर्ड वाईस क्लिप को गवाहान एवं परिवादी के समक्ष कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से सुना गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आवाज परिवादी श्री राहुल बेनीवाल द्वारा अपनी स्वयं की, आरोपी श्री देव कुमार एवं रतन जमादार की आवाज की पहचान की गई। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से जोडकर उसमें लगे एसडीकार्ड/मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GBमें रिकॉर्ड वार्ता की को बारी-बारी लेपटॉप की सहायता से पांच सीडी में बर्न किया गया। उक्त पांच सीडी को लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड होना सुनिश्चित कर मार्क B-1, मार्क B-2, मार्क B-3, मार्क B-4 व मार्क B-5 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। उनमें से तीन सीडी मार्क B-1 एवं मार्क B-2 एवं B-3 को अलग-अलग प्लास्टिक सीडी कवर में रखकर अलग-अलग सफेद कपड़े की थैलियों में रख कर शील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सीडी मार्क B-1 तथा मार्क B-2, तथा मार्का B-3 (आरोपी क्लोन कॉपी) तथा सीडी मार्क B-4 (आईओ कॉपी) अनुसंधान हेतु तथा सीडी मार्क B-5 (एडीपी कॉपी) को खुली रखी गयी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता हेतु उपयोग में लिए गये एसडीकार्ड / मेमोरी कार्ड SanDisk 32 GB को पृथक से प्लास्टिक कवर में डालकर माचिस की डिब्बी में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर पैकिट मार्क MC अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी को स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थि ाति में कार्यालय के लेपटॉप से जोडकर विडियोग्राफी की फर्द डीवीडी पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपी श्री देव कुमार सफाई कर्मचारी एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम जयपुर हेरिटेज को परिवादी श्री राहुल बेनीवाल से उसके पिताजी श्री बिरजू को सफाई के काम में राहत देने की ऐवज में हर माह 3 हजार रूपये व 2 माह के 6,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 12.11.2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान 6,000 रूपये रिश्वती राशि लेते हुए प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के जुर्म से आगाह कर आरोपी श्री देव कुमार को हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया तथा परिवादी की निशादेही पर गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री देव कुमार पुत्र श्री भूरा उम्र 52 वर्ष जाति हरिजन निवासी मकान नम्बर एच-42. मिनर्वा टाकिज के पीछे सांगानेरी गेट, हरिजन बस्ती जयपुर हाल सफाई कर्मचारी एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं. 93, जोन आदर्श नगर, नगर निगम हेरिटेज जयपुर द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न

अवैध पारिश्रमिक प्राप्त करने के आशय से भ्रष्ट आचरण अपनाते हुये परिवादी श्री राहुल बेनीवाल से उसके पिताजी श्री बिरजू को सफाई के काम में राहत देने की ऐवज हर माह 3 हजार रूपये व 2 माह के 6,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 12.11.2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान 6,000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री देव कुमार पुत्र श्री भूरा उम्र 52 वर्ष जाति हरिजन निवासी मकान नम्बर एच-42. मिनर्वा टाकिज के पीछे सांगानेरी गेट, हरिजन बस्ती जयपुर हाल सफाई कर्मचारी एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं. 93, जोन आदर्श नगर, नगर निगम हेरिटेज जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय, (भूपेन्द्र(अति० पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर-प्रथम, जयपुर। ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अति० पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर-प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)में आरोपी श्री देव कुमार पुत्र श्री भूराराम उम्र 52 वर्ष जाति हरिजन निवासी मकान नम्बर एच-42. मिनर्वा टाकिज के पीछे सांगानेरी गेट, हरिजन बस्ती जयपुर हाल सफाई कर्मचारी एवं कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक वार्ड नं. 93, जोन आदर्श नगर, नगर निगम हेरिटेज जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री छोटी लाल,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर द्वितीय, जयपुरको मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 169 पर अंकित है ।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1434-37 दिनांक 13-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर। 2-आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज,जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/11/2024 18:35:41

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्रक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/06/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)